संपादकीय

कैसे मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया वर्ल्ड वाइड वेब?

इंटरनेट ज्ञान और मनोरंजन का ऐसा खजाना है, जिसके माध्यम से किसी एक कोने में बैठे हुए ही आप दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट के माध्यम से विश्वभर की हर प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को एक छोटे से बंद कमरे में रखे कम्प्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर समेटकर ला देने वाला मूल मंत्र डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू (वर्ल्ड वाइड वेब) आज हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। यही शब्द प्रतिदिन दुनियाभर में करोड़ों कम्प्यूटरों पर असंख्य बार टाइप किया जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू' नामक इंटरनेट की मायावी दुनिया में प्रवेश कराने वाली यह खिड़की कब और कैसे अस्तित्व में आई? वर्ष 1989 में 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू' नामक इस मायावी शब्द को जन्म दिया था ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुके टिम बर्नर्स ली ने। वर्तमान में वेबपेज से जुड़ने या उसका निर्माण करने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, उनके पीछे बर्नर्स का ही दिमाग है। 8 जून 1955 को लंदन में जन्मे बर्नर्स ली ने 1976 में ऑक्सफोर्ड के क्वींस कालेज से ग्रेजुएशन किया था और उसी दौरान मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा कम्प्यूटर सैट बना लिया था। बर्नर्स ली के दिमाग में 1980 में अचानक ही 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू' से संबंधित शुरूआती विचार आया। उस दौरान वह एक कम्पनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। तब उन्होंने कम्प्यूटर में मौजूद विभिन्न फाइलों को आपस में जोड़ने के लिए 'इनक्वायर' नामक एक प्रोग्राम तैयार किया था। वह कम्प्यूटर पर मौजूद अपने दस्तावेजों और फाइलों को खोलने के लिए कुछ खास कोड नंबरों का प्रयोग किया करते थे और उनका यह तरीका कम्प्यूटर पर सफलतापूर्वक काम भी करता था किन्तु उन्होंने इससे भी आगे कुछ करने की ठानी थी। दरअसल बर्नर्स ली एक ऐसा ग्लोबल प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, जिसकी मदद से दुनिया के सभी कम्प्यूटरों को एक व्यापक सूचना तंत्र द्वारा जोड़ा जा सके और उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता भी मिली। वह इंटरनेट के जरिये दुनियाभर के लोगों को सूचनाओं के एक विस्तुत नेटवर्क से जोड़ पाने में सफल हो गए। इस तरह इंटरनेट पर 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू' की शुरूआत 1991 में हुई। टिम बर्नर्स-ली को एक इंटरनेट-आधारित संचार प्रणाली विकसित करने में उनकी रचनात्मकता के लिए सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 अगस्त को 'वर्ल्ड वाइड वेब दिवस' मनाया जाता है। 1993 में इंटरनेट पर 'टेक्सट' के साथ-साथ पिक्चर्स व ग्राफिक्स का प्रसारण भी शुरू हो गया, जिससे धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो गई और आज इंटरनेट की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या आज दुनिया भर में करोड़ों में हैं। वैसे तो आज दुनियाभर में हर कोई इस बात से परिचित है कि इंटरनेट ज्ञान और मनोरंजन का खजाना है पर आपको यह खजाना खोजना भी तो आना चाहिए। दरअसल वर्ल्ड वाइड वेब पर एक ही विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के असंख्य पृष्ठ भरे पड़े हैं, यदि आपको उनमें से अपने मतलब की जानकारी खोजने का तरीका ही मालूम नहीं हो तो आपके लिए यह सब किस काम के? मान लिया जाए कि जिस विषय पर आपको किसी जानकारी की आवश्यकता है, उससे संबंधित कुछ वेबसाइटों की आपको जानकारी भी है लेकिन यदि उन वेबसाइटों पर आपके मतलब की जानकारी न मिले, तब आप क्या करेंगे? आपकी इसी मुश्किल को आसान करता है इंटरनेट सर्च इंजन। इंटरनेट पर कुछ भी खोजते समय इंटरनेट सर्च इंजन ही आपकी मदद करता है। जिस भी विषय के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, इंटरनेट सर्च इंजन के टूल बार में उसका नाम टाइप करने के बाद एक क्लिक करते ही यह उस विषय से संबंधित ढ़ेरों पेज आपके सामने खुल जाते हैं और इस तरह आप अपनी जरूरत आसानी से पूरी कर सकते हैं।

फेफड़ों का कैंसर : समय पर पहचान और सावधानी से बच सकती है जिंदगी

हर साल 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को फेफड़ों के कैंसर के कारणों, शुरुआती संकेतों, बचाव और समय पर जांच के महत्व के बारे में जागरूक करना है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में शामिल है। चिंता की बात यह है कि इस बीमारी की शुरुआत कई बार बिना किसी स्पष्ट संकेत के होती है और जब तक लक्षण गंभीर रूप में सामने आते हैं, तब तक बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। ऐसे में जागरूकता, जोखिम की पहचान और समय पर चिकित्सकीय सलाह जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस की शुरुआत वर्ष 2012 में फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज यानी एफआईआरएस ने अन्य स्वास्थ्य संगठनों के सहयोग से की थी। इस दिन का उद्देश्य केवल बीमारी के बारे में जानकारी देना नहीं है, बल्कि फेफड़ों के कैंसर से जुड़े भ्रम और सामाजिक कलंक को दूर करना, रोकथाम को बढ़ावा देना तथा शीघ्र निदान और बेहतर उपचार के लिए लोगों को प्रेरित करना भी है। वर्ष 2026 में भी इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि फेफड़ों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरती जाए और लगातार बने रहने वाले लक्षणों की चिकित्सकीय जांच कराई जाए।

फेफड़ों का कैंसर उस समय विकसित होता है जब फेफड़ों की कुछ कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और उनका नियंत्रण खत्म हो जाता है। धीरे-धीरे ये कोशिकाएं ट्यूमर का रूप ले सकती हैं और आसपास के ऊतकों को प्रभावित कर सकती हैं। आगे चलकर कैंसर रक्त या लसीका तंत्र के माध्यम से शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी फैल सकता है। फेफड़ों के कैंसर को मुख्य रूप से नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर में बांटा जाता है। नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर अधिक सामान्य है, जबकि स्मॉल सेल लंग कैंसर अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ने और फैलने वाला प्रकार माना जाता है।

फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा जोखिम कारक तंबाकू और धूम्रपान है। लंबे समय तक धूम्रपान करने से जोखिम बढ़ता जाता है। हालांकि यह मान लेना गलत होगा कि केवल धूम्रपान करने वालों को ही यह बीमारी होती है। धूम्रपान नहीं करने वाले लोग भी फेफड़ों के कैंसर का शिकार हो सकते हैं। निष्क्रिय धूम्रपान यानी दूसरे व्यक्ति के तंबाकू के धुएं के संपर्क में रहना भी जोखिम बढ़ाता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण, घरेलू धुएं, रेडॉन गैस, एस्बेस्टस, सिलिका धूल, डीजल के धुएं और कुछ औद्योगिक रसायनों के लंबे समय तक संपर्क को भी जोखिम से जोड़ा गया है। कुछ लोगों में पारिवारिक इतिहास और आनुवंशिक संवेदनशीलता भी भूमिका निभा सकती है।

फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके शुरुआती लक्षण कई बार सामान्य श्वसन समस्याओं जैसे लगते हैं। लगातार बनी रहने वाली खांसी इसका महत्वपूर्ण संकेत हो सकती है। यदि खांसी तीन सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहे, बढ़ती जाए या पुरानी खांसी के स्वरूप में अचानक बदलाव आए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खांसी के साथ खून आना भी गंभीर संकेत है और ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय जांच जरूरी है। इसी तरह बिना स्पष्ट कारण सांस फूलना, सीने में लगातार दर्द या असहजता, आवाज में लगातार बदलाव, अत्यधिक थकान, भूख कम होना और बिना कोशिश के वजन कम होना भी ध्यान देने योग्य लक्षण हैं।

बार-बार होने वाले सीने के संक्रमण को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बार-बार ब्रोंकाइटिस या निमोनिया होता है या उपचार के बावजूद संक्रमण अपेक्षा के अनुसार ठीक नहीं होता, तो चिकित्सक से सलाह लेना उचित है। हालांकि इन लक्षणों का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को फेफड़ों का कैंसर ही है। संक्रमण, अस्थमा, सीओपीडी, टीबी और अन्य कई बीमारियों में भी ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसलिए स्वयं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय चिकित्सकीय जांच जरूरी है।

फेफड़ों का कैंसर शुरुआती अवस्था में बिना किसी लक्षण के भी हो सकता है। छोटा ट्यूमर शुरुआत में सांस की नलियों या आसपास के ऊतकों को प्रभावित नहीं करता, इसलिए व्यक्ति सामान्य महसूस कर सकता है। यही वजह है कि अधिक जोखिम वाले लोगों में चिकित्सकीय सलाह के अनुसार स्क्रीनिंग महत्वपूर्ण हो सकती है। स्क्रीनिंग में कम खुराक वाली सीटी जांच का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों में बीमारी का शुरुआती पता लगाना है जिनमें लक्षण नहीं हैं लेकिन जोखिम अधिक है।

अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों में आम तौर पर अधिक उम्र और लंबे समय तक धूम्रपान के इतिहास वाले लोगों के लिए कम खुराक वाली सीटी स्क्रीनिंग पर विचार किया जाता है। कई दिशानिर्देश 50 से 80 वर्ष की उम्र के उन लोगों में स्क्रीनिंग की सलाह देते हैं जिनका धूम्रपान इतिहास कम से कम 20 पैक-वर्ष रहा हो और जो वर्तमान में धूम्रपान करते हैं या हाल के वर्षों में इसे छोड़ चुके हैं। हालांकि स्क्रीनिंग के मानदंड अलग-अलग दिशानिर्देशों में अलग हो सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए स्क्रीनिंग जरूरी नहीं होती और इसका निर्णय उम्र, धूम्रपान का इतिहास, स्वास्थ्य स्थिति और अन्य जोखिमों को देखते हुए डॉक्टर करते हैं।

यह भी समझना जरूरी है कि स्क्रीनिंग और बीमारी के लक्षणों की जांच दो अलग-अलग बातें हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, खून वाली खांसी, सीने में दर्द या बिना कारण सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उसे नियमित स्क्रीनिंग का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लक्षणों के कारण का पता लगाने के लिए चिकित्सकीय मूल्यांकन की जरूरत होती है।

फेफड़ों के कैंसर की जांच के लिए डॉक्टर पहले मरीज के लक्षणों और स्वास्थ्य इतिहास को समझते हैं। इसके बाद जरूरत के अनुसार छाती का एक्स-रे या सीटी स्कैन कराया जा सकता है। यदि किसी संदिग्ध गांठ या असामान्य हिस्से का पता चलता है तो आगे की जांच की जाती है। पीईटी-सीटी का उपयोग कुछ मामलों में बीमारी के फैलाव का आकलन करने के लिए किया जाता है। कैंसर की पुष्टि के लिए आम तौर पर बायोप्सी की आवश्यकता होती है। इसमें संदिग्ध ऊतक का नमूना लेकर उसकी जांच की जाती है। कुछ मामलों में कैंसर की प्रकृति समझने के लिए आणविक या बायोमार्कर परीक्षण भी किए जाते हैं, जिनसे उपचार का चयन करने में मदद मिल सकती है।

उपचार बीमारी के प्रकार और अवस्था के आधार पर तय होता है। शुरुआती अवस्था में कुछ मरीजों के लिए सर्जरी महत्वपूर्ण उपचार हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में विकिरण उपचार का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी भी कई प्रकार के फेफड़ों के कैंसर में उपयोगी होती है। जिन मरीजों में विशेष आनुवंशिक बदलाव पाए जाते हैं, उनमें लक्षित उपचार का विकल्प उपलब्ध हो सकता है। प्रतिरक्षा चिकित्सा ने भी फेफड़ों के कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका बनाई है। उन्नत बीमारी में उपचार का उद्देश्य केवल कैंसर को नियंत्रित करना ही नहीं बल्कि दर्द, सांस की तकलीफ और अन्य परेशानियों को कम करके जीवन की गुणवत्ता बेहतर करना भी होता है।

फेफड़ों के कैंसर से बचाव की दिशा में सबसे प्रभावी कदम धूम्रपान से दूर रहना है। जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनके लिए इसे छोड़ना किसी भी उम्र में लाभकारी है। घर और कार्यस्थल को धूम्रपान मुक्त रखना भी जरूरी है। प्रदूषण और हानिकारक रसायनों के संपर्क को कम करना तथा जोखिम वाले कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपायों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। वायु प्रदूषण अधिक होने पर सावधानी बरतना और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार सुरक्षा उपाय अपनाना फायदेमंद हो सकता है।

विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस हमें यह याद दिलाता है कि फेफड़ों का कैंसर केवल धूम्रपान करने वालों की बीमारी नहीं है और इसके शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। लगातार खांसी, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, खून वाली खांसी या बिना कारण वजन कम होने जैसे बदलाव दिखाई दें तो समय गंवाए बिना डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरी ओर, अधिक जोखिम वाले लेकिन बिना लक्षण वाले लोगों को अपने जोखिम के आधार पर स्क्रीनिंग की जरूरत के बारे में चिकित्सक से चर्चा करनी चाहिए। कैंसर का नाम सुनना स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा कर सकता है, लेकिन आज जांच और उपचार के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। बीमारी का समय पर पता चलना उपचार के विकल्पों को बढ़ा सकता है और परिणाम बेहतर करने में मदद कर सकता है। इसलिए जागरूकता ही सबसे पहली सुरक्षा है। अपने जोखिम को समझना, तंबाकू से दूरी बनाना और शरीर में होने वाले लगातार बदलावों को गंभीरता से लेना फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं।

नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान अब ब्रह्माकुमारीज के हाथों में!

2 अगस्त को देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ब्रह्माकुमारीज संस्था नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज़ कर रही है।इसी दिन देश मे भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ हो रहा है।

इस महाअभियान के तहत प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय का मेडिकल विंग भारत सरकार के सहयोग से 6 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान आयोजित करेगा। ब्रह्माकुमारीज़ संस्था इस संकल्प और आंदोलन में एक प्रमुख आध्यात्मिक भागीदार के रूप में जुड़ गई है। देशभर के 10हजार स्थानों पर एक साथ इस 100 सप्ताह के जन-आंदोलन में एक करोड़ से अधिक युवा नशामुक्त भारत की शपथ लेंगे।ब्रह्माकुमारीज़ का लक्ष्य10 करोड़ प्रतिज्ञा पूरी कराने का है ,वह भी केवल 6 अगस्त से 20 अगस्त के मध्य।इस अवधि में पूर्व मुख्य प्रशासिका प्रकाशमणि दादी की पावन स्मृति में ब्रह्माकुमारीज़ संस्था देश के 10 करोड़ नागरिकों को नशे से मुक्ति दिलाने की पहल करेगी।इस अभियान के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में मुफ़्त जागरूकता सत्र चलायें जाएंगे,साथ ही ध्यान, खेलकूद, वॉकाथॉन, और नुक्कड़ नाटक आयोजित कर नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा।अभियान के दौरान प्रत्येक रविवार को नशे के खिलाफ जागरूकता वॉकथॉन, खेल गतिविधियां, नुक्कड़ नाटक, कला प्रतियोगिताएं और राजयोग मेडिटेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे।इस अवसर पर जो संकल्प कराया जाएगा, वह निम्न प्रकार है, 'मैं यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी व्यसन का प्रयोग नहीं करूँगा/करुँगी और अपने परिवार, मित्रों और समाज को व्यसनों से बचाने का भरसक प्रयास करूँगा/करुँगी। '

उत्तराखंड में इस अभियान की शुरुआत ब्रह्माकुमारीज संस्था से जुड़े भाई बहनों के नशा मुक्ति संकल्प के साथ होगी।राजयोगिनी बीके मंजू दीदी के नेतृत्व में ब्रह्माकुमारीज सब जोन क्षेत्र हिमाचल के नहान से लेकर सम्पूर्ण उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद तक इस अभियान को गति दी जाएगी।जिसका संचालन ब्रह्माकुमार सुशील भाई करेंगे,वही ब्रह्माकुमारी बहने प्रेरक की भूमिका में रहेगी।

किसान कल्याण वर्ष में किसानों की आवाज बनते मोहन

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सत्ता संभालने के बाद से किसानों को प्राथमिकता देते हुए राज्य में किसान हितैषी मुख्यमंत्री की एक नई छवि गढ़ रहे हैं। वे न केवल योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित हैं, बल्कि खुद खेतों में उतरकर किसानों के साथ जुड़कर उनकी आय बढ़ाने के ठोस कदम उठाने के साथ ही किसान कल्याण वर्ष 2026 में और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में सतत रूप से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' घोषित कर उन्होंने अपने इस संकल्प को और मजबूती प्रदान की है।मोहन सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बलराम कृषि महोत्सव 15 जुलाई 2026 को इंदौर से शुरु हुआ है जिसके तहत 13 नवंबर 2026 तक प्रदेश के सभी जिलों में बड़े आयोजन होंगे।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खातों में ब सीधे राशि पहुंचाना मध्यप्रदेश में मोहन सरकार की एक प्रमुख पहचान बन गया है। जुलाई 2026 में खंडवा के बलराम कृषि महोत्सव में उन्होंने सिंगल क्लिक से 82.70 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की। किसानों को 2025-26 की तीसरी और 2026-27 की पहली किस्त के रूप में 4,000 रुपये मिले। इससे पहले भी पीएम-किसान और राज्य योजनाओं के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये किसानों तक पहुंचाए जा चुके हैं।सरकार ने लगभग 10,500 करोड़ रुपये की पांच प्रमुख किसान हितैषी योजनाओं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन समेत अन्य को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया। पहली कृषि कैबिनेट में 27,000 करोड़ रुपये से अधिक के रोडमैप को मंजूरी दी गई, जिसमें सिंचाई, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता पर विशेष ध्यान दिया गया।सोयाबीन के बाद सरसों को भावांतर योजना में शामिल किया गया। उड़द पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान हुआ। धान उत्पादकों के लिए भी भावांतर योजना लागू करने की घोषणा की गई। कोदो-कुटकी जैसी श्रीअन्न फसलों पर 1,000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस और सरकारी खरीद अभियान शुरू किया गया। गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। यह सभी बड़े कदम किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचाते हुए किसानों को एक सुनिश्चित आय का आधार प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री बनने के साथ ही डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए किसान कल्याण को अपना बड़ा विजन बनाया। डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने और आगे 100 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है। केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध जैसी बड़ी परियोजनाओं से लाखों किसानों को लाभ प्रदान करने की दिशा में अपने कार्यकाल में उन्होनें एक नई लकीर खींचने का काम किया है। अगले तीन वर्षों में 30 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य बनाया है जिससे प्रदेश के किसान ऊर्जा आत्मनिर्भर बनेंगे। आज प्रदेश में उनके कार्यकाल में कृषक मित्र योजना के तहत 90 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर सिंचाई पंप दिए जा रहे हैं। इसी तरह माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर अनुदान जारी रखा गया है।

मध्य प्रदेश जैविक खेती के मामले में देश में अग्रणी राज्य है जहाँ 16 लाख हेक्टेयर से अधिक प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र है और सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है। सरकार द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि यंत्रीकरण के लिए 2,868 करोड़ रुपये का प्रावधान और देश में सर्वाधिक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों के साथ खेत में उतरकर खुद धान की रोपाई करने में भी पीछे नहीं रहे। बलराम कृषि महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में वह किसानों से सीधा संवाद करते देखे जा सकते हैं। उनके दूरदर्शी विजन में 17 विभागों को मिलाकर खेती, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण पर्यटन पर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। भूमि अधिग्रहण पर बाजार दर का चार गुना मुआवजा, उर्वरक की उपलब्धता पर एसएमएस अलर्ट, ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल जैसी सुविधाओं ने आज मध्यप्रदेश के लाखों किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है।

मध्यप्रदेश में मूंग की खरीद को लेकर पिछले दो दिनों से किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा था जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। किसानों ने एमएसपी पर खरीद, ई-टोकन सिस्टम खत्म करने और खाद की उपलब्धता जैसी मांगों पर भोपाल कूच किया। 19 संगठनों के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नर्मदापुरम से मार्च करते हुए बैरिकेड तोड़ते हुए सीएम आवास के से करीब 1 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। इससे सड़कों पर जाम और तनाव की स्थिति बन गई थी।मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने किसानों के बड़े आंदोलन को देखते हुए तत्काल मंत्रियों की एक समिति गठित की। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना समेत अन्य मंत्रियों ने किसानों से बात की और मंत्रालय में मोर्चा संभाला। मंत्रालय से लेकर पुलिस और प्रशासन को सक्रिय किया। सरकार ने मूंग खरीद की सीमा 25% से बढ़ाकर 60% करने का बड़ा एलान कर किसानों का दिल जीत लिया। खरीद समय-सीमा बढ़ाने के बड़े एलान के साथ ही खाद वितरण का ई-टोकन सिस्टम स्थगित कर समीक्षा के लिए समिति बनाई गई। इसके बाद अधिकांश किसान संगठनों ने आंदोलन वापस ले लिया और सड़कें खुल गई।

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि भी 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया। अब किसान 30 जुलाई के स्थान पर 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। इसी प्रकार उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त की जा रही है। सरकार द्वारा यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले।

जंतर-मंतर छात्र आंदोलन में बल प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, से उभरती नई संवैधानिक बहस

वैश्विक स्तरपर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र की गुणवत्ता केवल चुनावों से नहीं,बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि राज्य असहमति,विरोध और सार्वजनिक आंदोलनों के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है। अब छात्र आंदोलन पर बल प्रयोग का प्रश्न केवल पुलिस कार्रवाई या कानून- व्यवस्था तक सीमित विषय नहीं रह गया है।यह लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार, राज्य की सुरक्षा- ज़िम्मेदारी,बल प्रयोग की वैधानिकता,कमांड की जवाबदेही और न्यायिक निगरानी इन पांचों के बीच संतुलन का गंभीर संवैधानिक प्रश्न बन गया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर क्षेत्र में हुए छात्र प्रदर्शन और उसके दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा कथित रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मामले में 30 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और निर्देशों ने इस बहस को राष्ट्रीय ही नहीं,बल्कि अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक मानकों के स्तर पर भी महत्वपूर्ण बना दिया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि भीड़ नियंत्रण के नाम पर किसी भी विशेष प्रकार के बल का उपयोग सामान्य प्रशासनिक सुविधा का साधन नहीं हो सकता। बल प्रयोग की वैधानिकता केवल इस आधार पर निर्धारित नहीं होतीकि स्थिति तनावपूर्ण थी, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वास्तविक खतरा कितना गंभीर था,क्या कम-हानिकारक विकल्प उपलब्ध थे,क्या कार्रवाई आवश्यक और अनुपातिक थी तथा क्या पूरी प्रक्रिया निर्धारित कानून और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप हुई।

साथियों, 30 जुलाई 2026 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि पुलिस को केवल अत्यंत गंभीर और असाधारण परिस्थितियों में ही पैलेट गन के उपयोग का अधिकार हो सकता है।यह टिप्पणी ग्रेडेड रिस्पांस अर्थात परिस्थितियों की गंभीरता के अनुसार क्रमिक और नियंत्रित प्रतिक्रिया के सिद्धांत को रेखांकित करती है। इसका अर्थ यह है कि भीड़ नियंत्रण में हर परिस्थिति के लिए एक ही प्रकार की शक्ति का प्रयोग उचित नहीं माना जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध, सभा और अभिव्यक्ति नागरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। दूसरी ओर, राज्य पर सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने, हिंसा रोकने,नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने और सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने का दायित्व भी है।इन दोनों दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करना प्रशासन की सबसे कठिन जिम्मेदारियों में से एक है।यदि कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण है,तो उसे केवलअसहमति या राजनीतिक आलोचना के कारण बलपूर्वक समाप्त करना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।लेकिन यदि किसी प्रदर्शन में गंभीर हिंसा आगजनी जानलेवा हमला या व्यापक सार्वजनिक खतरा उत्पन्न हो,तो राज्य निष्क्रिय भी नहीं रह सकता। इसलिए मूल प्रश्न बल प्रयोग होना चाहिए या नहीं का नहीं, बल्कि कब, क्यों, किस अधिकार के अंतर्गत, किस सीमा तक और किस जवाबदेही के साथ बल प्रयोग किया जा सकता है।

साथियों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों और गोला-बारूद से संबंधित लॉग बुक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश इस पूरे प्रकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी पहलू है।यह आदेश किसी जवान, अधिकारी या संस्था को दोषी घोषित नहीं करता। न्यायालय ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहलेआवश्यक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पर बल दिया है। कानून के शासन में निष्पक्ष जांच का पहला आधार यही है कि तथ्य नष्ट न हों, रिकॉर्ड में परिवर्तन न हो और भविष्य की न्यायिक या स्वतंत्र जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रहें।अम्युनिशन लॉग से यह समझने में सहायता मिल सकती है कि संबंधित इकाई को कितना गोला-बारूद जारी किया गया,कितना उपयोग हुआ,किस प्रकार के उपकरण या कारतूस उपलब्ध थे, किस समय किस स्तर पर उनका उपयोग दर्ज किया गया और कार्रवाई की प्रशासनिक श्रृंखला क्या थी। यह रिकॉर्ड घटनाक्रम को केवल आरोपों या प्रत्यारोपों के आधार पर नहीं, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर समझने का अवसर देता है।

साथियों रिकॉर्ड संरक्षण का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि किसी भी विवादित बल-प्रयोग की घटना में अक्सर दो विपरीत कथाएं सामने आती हैं।एक पक्ष यह कह सकता है कि कार्रवाई अनावश्यक या अत्यधिक थी,जबकि दूसरा पक्ष यह तर्क दे सकता है कि सुरक्षा बलों को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा और उन्होंने कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की। ऐसी स्थिति में निष्पक्षता केवल किसी एक पक्ष की बात स्वीकार करने से नहीं, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों की जांच से स्थापित होती है।यदि डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो, वायरलेस संचार, ड्यूटी चार्ट, आदेश-पत्र, अम्युनिशन लॉग और अन्य दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि बल प्रयोग वास्तविक खतरे के अनुपात में, वैध आदेश के अंतर्गत और निर्धारित एसओपी के अनुसार हुआ, तो वही रिकॉर्ड सुरक्षा बलों की पेशेवर विश्वसनीयता को मजबूत कर सकता है। इसके विपरीत, यदि रिकॉर्ड और वास्तविक घटनाक्रम में असंगति मिलती है, तो जवाबदेही तय करने का आधार तैयार हो सकता है। इसलिए अम्युनिशन लॉग सुरक्षित रखने का अर्थ केवल संभावित जांच नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के तथ्यों को निष्पक्ष रूप से संरक्षित करना है। यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ सुरक्षा बलों के लिए भी सटीकता से एक संस्थागत सुरक्षा-कवच हो सकता है।

साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पैलेट गन के छर्रे लगने से घायल नागरिकों और प्रदर्शनकारियों के सर्वोत्तम तथा उचित उपचार को सुनिश्चित करने का निर्देश देकर राज्य की मानवीय जिम्मेदारी को भी केंद्र में रखा। किसी भी भीड़-नियंत्रण कार्रवाई के बाद प्रशासन का दायित्व केवल कानून-व्यवस्था बहाल होने तक समाप्त नहीं हो जाता। यदि किसी नागरिक को चोट लगी है,तो उसे समय पर चिकित्सा सहायता,विशेषज्ञ उपचार, आवश्यक जांच और पुनर्वास उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से आंख, चेहरे या शरीर के संवेदनशील हिस्सों में लगी चोटें दीर्घकालिक या स्थायी प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए चिकित्सा सहायता को केवल राहत या सहानुभूति के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक प्रशासन की जवाबदेही के रूप में देखा जाना चाहिए।